रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 15, 1999/चैत्र 25, 1921
No. 24] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 15, 1999/CHAITRA 25, 1921

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1999

सं. टी ए एम पी/2/97-एम पी टी.—महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने 2 जून, 1998 को एक आदेश पारित किया था जिसमें प्रशुल्क प्रयोजनों के लिए जलयानों का 'तटीय' और 'विदेशगामी' के रूप में वर्गीकरण करने की एक प्रणाली निर्धारित की गई थी। यह आदेश चेन्नई पत्तन न्यास से संबंधित एक मामले में पारित किया गया था। परन्तु आदेश की प्रतियाँ उचित कार्यवाही के लिए सभी महापत्तन न्यासों के अध्यक्षों को भेजी गई थी। वस्तुतः आदेश की विषय वस्तु में यह स्पष्ट किया गया था कि वर्गीकरण की प्रणाली "सभी पत्तनों द्वारा सामान्य रूप से अपनाए जाने के लिए" निर्धारित की जा रही है। फिर भी, कुछ पत्तन न्यासों ने अपने मामलों में इस आदेश की प्रयोज्यता के बारे में संदेह व्यक्त किया है। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्राधिकरण का 2 जून, 1998 का आदेश जो भारत के असाधारण राजपत्र (भाग-III, खंड 4) में राजपत्र सं. 35 के रूप में प्रकाशित हुआ था, सभी महापत्तनों पर लागू होगा। इस संबंध में किन्हीं (और) संदेहों को दूर करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्टीकरण एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण करने वाली इस अधिसूचना के होते हुए भी दिनांक 2 जून, 1998 के आदेश के प्रवर्तन की तारीख पूर्ववत् 1 जुलाई, 1998 ही रहेगी।

एस० सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/असाधारण/143/पीपी]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1999

NO. TAMP/2/97-MPT.—The Tariff Authority for Major Ports had passed an order on 2 June, 1998 prescribing a system of classification of vessels as 'coastal' and 'foreign-going' for tariff purposes. This order was passed in a case pertaining to the Chennai Port Trust. But, copies of the order were forwarded for appropriate action to the Chairmen of all the Major Port Trusts. In fact, it was clarified in the body of the order itself that the system of classification was being prescribed "for common adoption by all the Major Ports". Nevertheless, some Port Trust have raised a doubt about the applicability of this order to their cases. It is hereby clarified that this Authority's order dated 2 June, 1998 which was published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III Section 4) as Gazette No. 35, will be applicable to all the Major Ports. In order to remove any (further) doubts in this regard, in exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), this clarification is hereby Notified. It is further clarified that, notwithstanding this clarificatory Notification, the date of enforcement of the order dated 2 June, 1998 will remain as hithertofore as 1 July, 1998.

S. SATHYAM, Chairman

[Advt. III/IV/Exty/143/PP.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.